

मूल वाद में अंतिम डिक्री

बमुकद में ईबादाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या. प्रक्रिया संहिता

मालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), संगरिया

हासीन अधिकारी - राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

करण संख्या - 113/2022

वाद पत्र अं. धारा - 88/53 आर.टी.ए.



1. ओमप्रकाश 2. सुभाषचन्द्र पि. काशीराम 3. विनोदकुमार 4. कृष्ण कुमार पि. वाराराम जाति नाई निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) 5. सुरेन्द्र कुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) 6. तेजसिंह 7. जीतसिंह पि. कैलासिंह उर्फ करनैल सिंह जाति कुम्हार निवासी सा. भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ 8. सुखविन्दसिंह पुत्र बलवन्तसिंह 9. बलवन्तसिंह 10. सुखदेवसिंह 11. जगदेवसिंह पि. छोटूसिंह 12. बलदेवसिंह समस्त जाति कुम्हार सा. भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) 13. वीरपाल कौर पत्नी बलदेवसिंह जाति कुम्हार निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- वादीगण

बनाम

1. बलरामपुत्र नानूराम 2. आनन्दकुमार 3. अखिलेश कुमार पि. पृथ्वीराज 4. अश्वनी कुमार पुत्र श्योपतराम 5. सुलोचनादेवी पत्नी महेन्द्रसिंह 6. अमित कुमार पि. महेन्द्रसिंह 7. कमलजीत समस्त जाति नाई निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) 8. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

- प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा एवं तकसीम खाता

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व वाद सं. 113-2022

दिनांक 12.4.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री जसवीरसिंह एडवोकेट व मिन जानिव मुदायला प्रति.सं.8 राज पैरोकारत हसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं तहसीलदार भू.अ. संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक - प्रा.डिक्री/भू.अ. /2024/1038 दिनांक 03.04.2024 के मुताबिक अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है -

चक 5 एचआरपी खाता सं. 12/8 में कुल रकबा 1.050 है. संयुक्त खाता (हि.वि.), चक 5 एचआरपी खाता सं. 91/71 में कुल रकबा 1.632 है. संयुक्त खाता (हि.वि.), चक 5 एचआरपी खाता सं. 156/115 में कुल रकबा 6.005 है. संयुक्त खाता (हि.वि.) एवं चक 5 एचआरपी खाता सं. 22/70 में कुल रकबा 5.376 है. संयुक्त खाता (हि.वि.) में मौके पर कब्जा-काश्त की कृषि भूमि-

1. सुखविन्दसिंह पुत्र बलवंतसिंह 0.405 बलवंतसिंह पुत्र छोटूसिंह 0.515 जाति कुम्हार सा. भाखरावाली प.नं. 178/109 मु.नं. 7 किला नं. 21/.126, 22-23/0.506, 19/0.151, 20/0.087, 18/0.050 कुल 0.920 है.
2. सुखदेवसिंह पुत्र छोटूसिंह जाति कुम्हार सा. भाखरावाली प.नं. 178/110 मु.नं. 18 किला नं. 2/0.221, 9/0.222, प.नं. 177/109 मु.नं. 8 किला नं. 16/0.085, 25/0.168 कुल 0.696 है.
3. जगदेवसिंह पुत्र छोटूसिंह जाति कुम्हार सा. भाखरावाली प.नं. 178/110 मु.नं. 18 किला नं. 3,8/0.506, प.नं. 178/109 मु.नं. 7 किला 18/0.101, प.नं. 177/110 मु.नं. 17 किला नं. 3/0.190 कुल 0.797 है.
4. बलदेवसिंह पुत्र छोटूसिंह 0.734 वीरपालकौर पत्नी बलदेवसिंह 0.366 जाति कुम्हार सा. भाखरावाली



मालय सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

प.नं. 177/109 मु.नं. 8 किला नं. 24/0.253, 25/0.085, 16/0.066, प.नं. 177/110 मु.नं. 17 किला नं. 4/0.127, 5/0.253, प.नं. 178/110 मु.नं. 18 किला नं. 1/0.253, 2/0.032, 9/0.031 कुल 1.100 है.

ओमप्रकाश पुत्र काशीराम जाति नाई सा. भाखरावाली

प.नं. 178/109 मु.नं. 7 किला नं. 21/0.126, 20/0.064, प.नं. 177/110 मु.नं. 17 किला नं. 3/0.063, 4/0.127 कुल 0.380 है.

6. कृष्ण कुमार पुत्र चौरुराम 2.240 हि. प्रमिला पत्नी राजेन्द्र कुमार 0.379 हि. जाति नाई सा. भाखरावाली

प.नं. 178/109 मु.नं. 7 किला नं. 16/0.127, 17/0.126, 24/0.253, 25/0.215, प.नं. 178/110 मु.नं. 18 किला नं. 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6,7/0.506, 14/0.127, 16,25/0.506, प.नं. 179/110 मु.नं. 19 किला नं. 20/0.253 कुल 2.619 है.

7. विनोद कुमार पुत्र चौरुराम 0.347 हि. कैलाश पत्नी विनोद कुमार 0.775 हि. रेहान ना.वा. पुत्र अजयसिंह संरक्षक माता नीतू 0.775 हि. जाति नाई सा. भाखरावाली

प.नं. 179/109 मु.नं. 6, किला नं. 19/0.127, 20/0.126, 21,22/0.506, प.नं. 178/110 मु.नं. 18 किला नं. 14/0.126, 15/0.253, प.नं. 179/110 मु.नं. 19 किला नं. 1,10,11 /0.759 कुल 1.897 है.

8. जीतसिंह तेजसिंह पुत्र करनैलसिंह उपर्फ कैलासिंह जाति कुम्हार सा. भाखरावाली प.नं. 179/110 मु.नं. 19 किला नं. 12/0.253 कुल 0.253 है.

9. सुरेन्द्र कुमार पुत्र हैतराम जाति जाट जाति कुम्हार सा. भाखरावाली (फौत) के वारिसान

प.नं. 179/110 मु.नं. 19 किला नं. 2,9/0.506 कुल 0.506 है.

10. अमितकुमार कमलजीत पुत्र महेन्द्रसिंह सुलोचना पत्नी महेन्द्रसिंह 0.613 हि. पृथ्वीराज पुत्र काशीराम 0.203 हि. बलराम पुत्र नानुराम 0.613 हि. ओमप्रकाश पुत्र काशीराम 0.203 हि. श्योपत पुत्र नानुराम 0.612 हि. सुभाषचन्द्र पुत्र काशीराम 0.203 हि. कृष्ण कुमार विनोद कुमार पुत्र चौरुराम 2.448 जाति नाई सा. भाखरावाली

प.नं. 179/109 मु.नं. 6 किला नं. 9/1/0.025, 10/1/0.025, 11/1/0.240, 12/1/0.228, 19/0.126, 20/0.127, प.नं. 178/109 मु.नं.7 किला नं. 6/1/0.025,7/1/0.025,7/2/0.013, 8/1/0.025, 8/2/0.025, 9/1/0.025, 9/2/0.063, 10/1/0.25, 10/2/0.076, 11 ता 15/1.265, 16/0.126, 17/0.127, 18/0.102, 19/0.102, 20/0.102, प.नं. 177/109 मु.नं. 8 किला नं. 1/1/0.025, 2/1/0.013, 6/0.076, 6/1/0.025, 7/0.101, 7/1/0.025, 8/0.101, 8/1/0.025, 9/0.101, 9/1/0.013, 10/1/0.126, 11 ता 15/1.265, 16/0.102 कुल 4.895 है.

उक्त 4.895 है. भूमि पर मौका पर कोई काशत ना होकर गंग कैनल नहर बनी है।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशांषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भूअ. संगरिया के पत्र क्रमांक - प्रा. डिक्री/भूअ./2024/1038 दिनांक 03.04.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट - यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज ..... X ..... मुब्लिक ..... X ..... बाबत 100/- खर्चा मुकदमों के मय शूद या शरह, फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक X ..... को अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 12.4.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)

राजस्थान, कलकत्ता में एवं  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) संगरिया  
अधिकारी (राजस्व) संगरिया

संगरिया